मवासी जनजातियों का पारिवारिक एवं वैवाहिक जीवन (मध्यप्रदेश के छिन्दवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में)

जैन कुमार पंचेश्वर
शोधार्थी, समाजशास्त्र

प्रस्तावना—

परिवार समाज की मूलभूत इकाई है एवं समाज का सत्व है। विभिन्न समाजशास्त्रियों, मानवशास्त्रियों एवं विचारकों ने अलग—अलग दृष्टिकोणों से परिभाषित किया है। कई विचारकों ने एक प्राथमिक समूह, एक महत्वपूर्ण समिति एवं एक मूलभूत संस्था के रूप में परिवार के समाजशास्त्रीय महत्व का वर्णन किया है। परिवार के इतने महत्व के कारण ही परिवार का समाजशास्त्र विकसित हुआ है। **आगस्ट काम्टे** से लेकर समकालीन समाजशास्त्रियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है। परिवार एक सार्वभौमिक सच्चाई है। यह केवल मानव समाज में ही मिलता हो ऐसा नहीं है। पशु समाज में भी परिवार का अस्तित्व किसी न किसी रूप में मिलता है। सच तो यह है कि किसी भी सामाजिक संरचना को उसकी सम्पूर्णता में यदि समझना है और समझाना है तो हमें अनिवार्यतः परिवार से शुरू होना पड़ेगा। परिवार मानव समाज का इतना सर्वव्यापी और विराट यथार्थ है कि इसे किसी संकुचित और संक्षिप्त परिभाषा में बांधकर विश्लेषित करना सहज नहीं है। वैसे परिवार उसकी संरचना, प्रकार्यो और निर्माणकारी घटकों के माध्यम से समाज विज्ञानों में चर्चित होता रहा है।

बरजेस एवं लाक ने परिवार की परिभाषा विस्तार से की है। उन्होंने परिवार के प्रमुख पक्षों पर प्रकाश डाला है। परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त या गोद लेने के बन्धनों से जुड़े हुए हैं। एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं। पति पत्नी, माता—पिता, पुत्र—पुत्री और भाई—बहन अपने—अपने क्रमशः सामाजिक कार्यो और पति पत्नी में एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तथा व्यवहार और सम्बन्ध रखते हैं। एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं और बनाये रखते हैं।

अध्ययन में प्रयुक्त शोध प्रविधि—

वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य **मवासी जनजातियों का पारिवारिक एवं वैवाहिक जीवन का अध्ययन मध्यप्रदेश के छिन्दवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में** किया गया है, इस सन्दर्भ में शोध की गहनता अध्ययनरत मवासी जनजातीय परिवारों को निदर्श के रूप में चयनित करके उनके संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाईयों के अन्वेषण से जुड़ी हुई हैं।

साक्षात्कार पद्धति—

प्रस्तुत शोध पत्र में साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया गया है। छिन्दवाड़ा जिले की ०९ तहसीलों से ०२ तहसील—जुन्नारदेव एवं बिछुआ का चयन किया गया है, इन दो तहसीलों के चुनाव का प्रमुख कारण है कि छिन्दवाड़ा जिले के इन्हीं दोनों तहसीलों में मवासी जनजातियों का विस्तार अधिक पाया जाता है। जुन्नारदेव एवं बिछुआ तहसीलों से ५०—५० मवासी जनजातीय परिवारों, अर्थात कुल १०० मवासी जनजातीय परिवार का चयन साक्षात्कार हेतु किया गया है। साक्षात्कार अनुसूची के साथ शोधार्थी ने स्वयं अथवा उसके द्वारा नियुक्त सहयोगियों के द्वारा अधिकांश मवासी जनजातियों से प्रत्यक्ष सम्पर्क कर के उनसे प्रश्न पूछ कर उत्तर प्राप्त किये गए हैं। प्रस्तुत अध्ययन में निर्दशन पद्धति के द्वारा अध्ययन हेतु चुने गए मवासी जनजातियों का साक्षात्कार किया गया है। साक्षात्कार अनुसूची के अनुसार चुने गये परिवारों से

प्रश्नोत्तर के माध्यम से तथ्य प्राप्त किए गये। प्रथम अध्ययन क्षेत्र का अवलोकन किया गया उसके बाद शोधार्थी के द्वारा प्रश्न पूछ कर उनके उत्तर प्राप्त किए गए। साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग वैज्ञानिक और निष्पक्ष रूप से किया गया है।

सारणी क्रमांक १

अध्ययनरत मवासी जनजातियों के परिवार के स्वरूप सम्बन्धी मत

क्र.	परिवार	परिवारों की संख्या	प्रतिशत
१.	एकाकी परिवार	६०	६०.००
२.	संयुक्त परिवार	४०	४०.००
	योग	१००	१००.००

स्रोत—व्यक्तिगत सर्वेक्षण

उपरोक्त सारणी में छिदवाड़ा जिले की मवासी जनजातियों के पारिवारिक स्वरूप का अध्ययन किया गया है। सारणी से स्पष्ट होता है कि अध्ययनरत मवासी जनजातियों में ६०.०० प्रतिशत परिवार एकाकी पाए गए हैं जबकि ४०.०० प्रतिशत मवासी जनजातियों में संयुक्त परिवार पाये गए हैं। सारणी से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अध्ययनरत मवासी जनजातियों के समाज में वर्तमान में एकाकी परिवार की प्रथा का प्रचलन अधिक हो गया है।

सारणी क्रमांक २

परिवारों के सदस्यों का विवरण

क्र.	सदस्यों की संख्या	संख्या	प्रतिशत
१.	चार सदस्य	३०	३०.००
२.	०५ से ०७ सदस्य	२०	२०.००
३.	०७ से १० सदस्य	२०	२०.००
४.	१० से अधिक सदस्य	३०	३०.००
	योग	१००	१००.००

स्रोत—व्यक्तिगत सर्वेक्षण

उपरोक्त सारणी में छिदवाड़ा जिले की मवासी जनजातियों के परिवार में सदस्यों की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गयी है। सारणी से स्पष्ट होता है कि अध्ययनरत मवासी जनजातीय परिवार में ३०.०० प्रतिशत परिवारों में चार सदस्य, २०.०० प्रतिशत परिवारों में ५ से ७ सदस्य, २० प्रतिशत परिवारों में ७ से १० सदस्य तथा ३०.०० प्रतिशत परिवारों में १० से अधिक सदस्य पाए गए हैं। सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनरत मवासी जनजातियों के अधिकतर परिवारों में चार सदस्य पाए गए हैं।

सारणी क्रमांक ३

मुखिया की भूमिका सम्बन्धी मत

क्र.	प्रमुख भूमिका	परिवार की संख्या	प्रतिशत
१.	पुरुष	९०	९०.००
२.	महिला	१०	१०.००
	योग	३००	१००.००

स्रोत—व्यक्तिगत सर्वेक्षण

उपरोक्त सारणी में छिदवाड़ा जिले की मवासी जनजातियों के परिवार में मुखिया सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गयी है। सारणी से स्पष्ट होता है कि अध्ययनरत अधिकांश (९०.०० प्रतिशत) परिवारों में मुखिया पुरुष ही पाए गए हैं। मात्र १०.०० प्रतिशत परिवारों में मुखिया परिवार की महिला सदस्य पायी गयी है, यह वे परिवार हैं जिनके घर के पुरुषों की मृत्यु हो चुकी है। सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनरत मवासी जनजातियों के अधिकतर परिवारों में पुरुष मुखिया ही पाए गए हैं।

सारणी क्रमांक ४

सन्तान के महत्व सम्बन्धी मत

क्र.	सन्तान को महत्व	परिवार की संख्या	प्रतिशत
१.	पुत्र	६०	६०.००
२.	पुत्री	१०	१०.००
३.	दोनों समान रूप से	३०	३०.००
	योग	१००	१००.००

स्रोत—व्यक्तिगत सर्वेक्षण

उपरोक्त सारणी में छिदवाड़ा जिले की मवासी जनजातियों के परिवार में पुत्र या पुत्री किसको महत्व दिया जाता है सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गयी है। सारणी से स्पष्ट होता है कि अध्ययनरत ६०.०० प्रतिशत मवासी परिवारों में पुत्र को, १०.०० प्रतिशत

परिवारों में पुत्री को तथा ३०.०० प्रतिशत मवासी जनजातीय परिवारों में पुत्र एवं पुत्री दोनों को समान रूप से महत्व दिया जाता है। सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनरत मवासी जनजातियों के अधिकतर परिवारों में पुत्र एवं पुत्री दोनों को समान रूप से महत्व दिया जाने लगा है।

सारणी क्रमांक ५

परिवार के सदस्यों का बुजुर्गों के साथ सम्बन्ध

क्र.	विवरण	परिवारों की संख्या	प्रतिशत
१	सम्मानजनक	७०	७०.००
४	तनावपूर्ण	३०	३०.००
योग		१००	१००.००

स्रोत—व्यक्तिगत सर्वेक्षण

उपरोक्त सारणी में छिंदवाड़ा जिले की मवासी जनजातियों के परिवार में बुजुर्ग सदस्यों के प्रति व्यवहार को जानने की कोशिश की गयी है। सारणी से स्पष्ट होता है कि अध्ययनरत ७०.०० प्रतिशत मवासी परिवारों में बुजुर्ग के साथ सम्मानजनक तथा ३०.०० प्रतिशत मवासी जनजातीय परिवारों में बुजुर्गों के साथ सम्बन्ध तनावपूर्ण पाए गए हैं। सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनरत मवासी जनजातियों के अधिकतर परिवारों में बुजुर्गों के साथ सम्बन्ध सामान्य पाए गए हैं।

सारणी क्रमांक ६

परिवारों में विघटन की स्थिति

क्र.	मत	परिवारों की संख्या	प्रतिशत
१	संगठित परिवार	४०	६०.००
२	विघटित परिवार	६०	४०.००
	योग	१००	१००.००

स्रोत—व्यक्तिगत सर्वेक्षण

अध्ययनरत छिंदवाड़ा जिले की मवासी जनजातियों में संगठित परिवार का प्रतिशत ४०.०० है। विघटित परिवारों का प्रतिशत ६०.०० पाया गया है। जिन मवासी परिवारों में तनाव पाया जाता है या विघटित परिवार हैं, उनके कारण के संबंध में जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने उसके अनेक कारण बताये, जैसे निर्धनता के कारण, आधारभूत मौलिक आवश्यकतायें भोजन, वस्त्र, मकान की पूर्ति सही ढंग से नहीं हो पाती। अधिकतर परिवारों में तनाव का कारण यही है। कुछ परिवारों ने नशाखोरी को भी एक कारण बताया है। इनका कहना है कि शराब इनके परिवार में आवश्यक है। कोई भी धार्मिक पर्व, उत्सव इसके बिना पूरा नहीं होता। लेकिन कभी—कभी इसके कारण पारिवारिक लड़ाई—झगड़े भी होते हैं जो पारिवारिक विघटन को जन्म देते हैं तथा कुछ परिवारों ने अशिक्षा, सदस्यों की अधिकता तथा अन्य कारकों को पारिवारिक विघटन के लिये जिम्मेदार माना है।

सारणी क्रमांक ७

अध्ययनरत मवासी परिवारों में घरेलू हिंसा की स्थिति

क्र.	विवरण	परिवारों की संख्या	प्रतिशत
१	घरेलू हिंसा होती है	६५	६५.००
२	नहीं होती है	३५	३५.००
योग		१००	१००.००

स्रोत—व्यक्तिगत सर्वेक्षण

उपरोक्त सारणी में छिंदवाड़ा जिले की मवासी जनजातियों में घरेलू हिन्सा को जानने का प्रयास किया गया है। सारणी से स्पष्ट होता है कि अध्ययनरत ६५.०० प्रतिशत मवासी जनजातीय परिवारों में घरेलू हिंसा होती है, जबकि ३५.०० प्रतिशत मवासी परिवारों में घरेलू हिंसा नहीं होती है। सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनरत मवासी जनजातियों के अधिकतर परिवारों में घरेलू हिंसा होती है, जिसका प्रतिशत ६५.०० है।

वैवाहिक जीवन—

मानव शास्त्रियों के अनुसार आदिवासियों के विवाह उनकी आर्थिक समस्या को हल करने की उपज था क्योंकि बिना दो के उनकी आर्थिक समस्या का समाधान नहीं हो सकता था। इसलिए आदिवासियों में विवाह एक तरह का ठेका माना जाता है, धार्मिक संस्कार नहीं। यही कारण है कि इन जातियों में विवाह के अवसर पर धार्मिक विधि विधान नहीं सम्पन्न किए जाते थे। फिर भी जो

जनजातियाँ हिन्दुओं के सम्पर्क में आई है उन्होंने हिन्दुओं के विधि–विधानों को अपना लिया हैं शायद वे समझते है कि इससे उनकी मान मर्यादा बढ़ती है।

वेस्टरमार्क के अनुसार–विवाह एक या अधिक पुरूषों का, एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह सम्बन्ध है जो प्रथा या कानून द्वारा स्वीकृत होता है और जिसमें आने वाले उभयपक्षों तथा उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकार एवं कर्तव्यों का समावेश होता है। **मजूमदार और मदान**–विवाह के अन्तर्गत सामाजिक स्वीकृति, सामान्यत: दीवानी तथा धार्मिक संस्कार के रूप में जो कि आवद्ध होनें वाले विषमलिंगी दो व्यक्तियों को यौन तथा अन्य पारस्परिक सम्बन्ध, एक दूसरे के प्रति सामाजिक एवं आर्थिक सम्बन्धों का अधिकार होता है।

मवासी जनजातियों में भी अन्य जनजातियों की भांति अन्तर्विवाह ही होते है अर्थात वे अपनी ही जाति के अन्तर्गत विवाह करते हैं। जनजातियों की उपजातियाँ भी कई है और प्रत्येक उपजाति के सदस्य अपनी ही उपजाति में विवाह करते हैं।

मवासी जनजातियों में विवाह की प्रचलित पद्धति–

जनजातियों में स्त्री पुरुष समानता सवर्ण हिन्दुओं की अपेक्षा अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। विवाह तय करने हेतु लड़का वाला (वर पक्ष) वधू के परिवार वालों के पास प्रस्ताव लेकर जाता है। वधू पक्ष द्वारा प्रस्ताव स्वीकार कर लेने पर वर का पिता लड़कों वालों को दाल तथा नमक उसके घर भेजता है। इस प्रकार विवाह की बात तय हो जाती है तथा मुहूर्त निश्चित कर लिया जाता है।

सारणी क्रमांक ८

मवासी जनजातियों की वैवाहिक स्थिति सम्बन्धी मत

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
१	एक बार विवाह वर्तमान में १ पत्नी	५५	५५.००
२	दो बार विवाह वर्तमान में २ पत्नी	०५	०५.००
३	दो बार विवाह वर्तमान में १ पत्नी	२५	२५.००
४	एक बार विवाह किन्तु विधुर	१५	१५.००
	योग	१००	१००

स्रोत–व्यक्तिगत सर्वेक्षण

उपरोक्त सारणी में छिदवाड़ा जिले की अध्ययनरत मवासी जनजातियों की वैवाहिक स्थिति को जानने का प्रयास किया गया है, ५५.०० प्रतिशत मवासी जनजातियों ने एक बार विवाह किया है तथा वर्तमान में १ पत्नी ही है, इसी प्रकार ०५.०० प्रतिशत जनजाति दो बार विवाह किए हैं तथा वर्तमान में २ पत्नी के साथ रहते हैं। २५.०० प्रतिशत मवासी दो बार विवाह किए हैं किन्तु वर्तमान में १ पत्नी ही है, १५.०० प्रतिशत अध्ययनरत मवासी जनजाति एक बार विवाह ही किए है किन्तु वर्तमान में विधुर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

सारणी क्रमांक ९

अध्ययन क्षेत्र के जनजातियों में विवाह की आयु

क्र.	आयु	संख्या	प्रतिशत
१.	१५ से २० वर्ष	१५	१५.००
२.	२१ से २५ वर्ष	७०	७०.००
३.	२६ वर्ष से ऊपर	१५	१५.००
	योग	१००	१००

स्रोत–व्यक्तिगत सर्वेक्षण

उपरोक्त सारणी में छिदवाड़ा जिले की अध्ययनरत मवासी जनजातियों की विवाह के समय उम्र जानने की कोशिश की गयी है। सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनरत मवासी जनजातियों में १५.०० प्रतिशत जनजातियों की उम्र विवाह के समय १५ से २० वर्ष के मध्य थी, ७०.०० प्रतिशत मवासी जनजातियों की उम्र २१ से २५ वर्ष के मध्य तथा १५.०० प्रतिशत जनजातियों की उम्र विवाह के समय २६ वर्ष से ऊपर की थी।

सारणी क्रमांक १०

विधवा विवाह सम्बन्धी मत

क्र.	तथ्य	संख्या	प्रतिशत
१	उचित है	९०	९०.००
२	विधवा विवाह उचित नहीं है	१०	१०.००
	योग	१००	१००

स्रोत–व्यक्तिगत सर्वेक्षण

मवासी जनजातियों में पति–पत्नी का सम्बन्ध विच्छेद होना, पुन: नया जीवन साथी बना

लेना तथा विधवा हो जाने पर स्त्री को किसी अन्य पुरुष के स्वीकार कर लेना एक सामान्य सामाजिक समझौता हैं। सारणी के अवलोकन से भी इन्हीं तथ्यों की पुष्टि होती है। ९०.०० प्रतिशत मवासी परिवार प्रमुख विधवा के पुनर्विवाह को उचित मानते है और यह स्वीकार करते है कि उनकी जाति में विधवा विवाह होते है। किन्तु विधवा के पुनर्विवाह पर प्रथम विवाह की तरह कोई औपचारिक उत्सव नहीं होता है। उढ़री की तरह उसे पुरुष द्वारा अपनी पत्नी मान लिया जाता है और जाति पंचायत को सहभोज करा दिया जाता है। इस प्रकार एक स्त्री जब तक वयस्क (यौवनावस्था) रहती है तब तक उसे पत्नियाँ उढ़री बनने का अवसर प्राप्त होता रहता हैं अर्थात यौवनावस्था में विधवा हो जाने पर स्त्री का वैधव्य नहीं भोगना पड़ता है। जब स्त्री की उम्र अधिक हो जाती है अर्थात वह प्रौढ़ावस्था में पहुँच चुकी होती है उसकी सन्तानें भी किशोरावस्था में होती है। ऐसी स्थिति में विधवा हो जाने पर स्त्री अन्य पति की लालसा सामान्यतया नहीं रखती है वह अपने पुत्रों के साथ रहकर जीवन—यापन करती हैं।

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष—

अध्ययनरत मवासी जनजातियों में ६०.०० प्रतिशत परिवार एकाकी पाए गए हैं जबकि ४०.०० प्रतिशत मवासी जनजातियों में संयुक्त परिवार पाये गए हैं। अध्ययन से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अध्ययनरत मवासी जनजातियों के समाज में वर्तमान में एकाकी परिवार की प्रथा का प्रचलन अधिक हो गया है। अध्ययनरत मवासी जनजातीय परिवार में ३०.०० प्रतिशत परिवारों में चार सदस्य, २०.०० प्रतिशत परिवारों में ५ से ७ सदस्य, २० प्रतिशत परिवारों में ७ से १० सदस्य तथा ३०.०० प्रतिशत परिवारों में १० से अधिक सदस्य पाए गए हैं। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनरत मवासी जनजातियों के अधिकतर परिवारों में चार सदस्य पाए गए हैं।

अध्ययनरत अधिकांश (९०.०० प्रतिशत) परिवारों में मुखिया पुरुष ही पाए गए हैं। मात्र १०.०० प्रतिशत परिवारों में मुखिया परिवार की महिला सदस्य पायी गयी है, यह वे परिवार हैं जिनके घर के पुरुषों की मृत्यु हो चुकी है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनरत मवासी जनजातियों के अधिकतर परिवारों में पुरुष मुखिया ही पाए गए हैं।

अध्ययनरत ६०.०० प्रतिशत मवासी परिवारों में पुत्र को, १०.०० प्रतिशत परिवारों में पुत्री को तथा ३०.०० प्रतिशत मवासी जनजातीय परिवारों में पुत्र एवं पुत्री दोनों को समान रूप से महत्व दिया जाता है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनरत मवासी जनजातियों के अधिकतर परिवारों में पुत्र एवं पुत्री दोनों को समान रूप से महत्व दिया जाने लगा है।

अध्ययनरत ७०.०० प्रतिशत मवासी परिवारों में बुजुर्ग के साथ सम्मानजनक तथा ३०.०० प्रतिशत मवासी जनजातीय परिवारों में बुजुर्गों के साथ सम्बन्ध तनावपूर्ण पाए गए हैं। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनरत मवासी जनजातियों के अधिकतर परिवारों में बुजुर्गों के साथ सम्बन्ध सामान्य पाए गए हैं। ५५.०० प्रतिशत मवासी जनजातियों ने एक बार विवाह किया है तथा वर्तमान में १ पत्नी ही है, इसी प्रकार ०५.०० प्रतिशत जनजाति दो बार विवाह किए हैं तथा वर्तमान में २ पत्नी के साथ रहते हैं। २५.०० प्रतिशत मवासी दो बार विवाह किए हैं किन्तु वर्तमान में १ पत्नी ही है, १५.०० प्रतिशत अध्ययनरत मवासी जनजाति एक बार विवाह ही किए है किन्तु वर्तमान में विधुर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

अध्ययनरत मवासी जनजातियों में १५.०० प्रतिशत जनजातियों की उम्र विवाह के समय १५ से २० वर्ष के मध्य थी, ७०.०० प्रतिशत मवासी जनजातियों की उम्र २१ से २५ वर्ष के मध्य तथा १५.०० प्रतिशत जनजातियों की उम्र विवाह के समय २६ वर्ष से ऊपर की थी। ९०.०० प्रतिशत मवासी परिवार प्रमुख विधवा के पुनर्विवाह को उचित मानते है और यह स्वीकार करते है कि उनकी जाति में विधवा विवाह होते है। किन्तु विधवा के पुनर्विवाह पर प्रथम विवाह की तरह कोई औपचारिक उत्सव नहीं होता है। उढ़री की तरह उसे पुरुष द्वारा अपनी पत्नी मान लिया जाता है

और जाति पंचायत को सहभोज करा दिया जाता है।

संदर्भ—

1. जैन, श्रीचंद आदिवासी के बीच, कमल प्रेस दिल्ली १९८०
2. कुमार प्रमिला, ''म.प्र. का भौगोलिक अध्ययन'' म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल २००३
3. मिश्रा, डा. राजीव, ''बैगा जनजाति का उत्थान जनजाति विकास कार्यक्रम का प्रभाव'', रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर १९९८
4. नायडू, पी. आर., ''भारत के आदिवासी विकास की समस्याएँ'', राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली १९९६
5. अटल योगेश, ''आदिवासी भारत'', राजकमल पब्लिकेशन, दिल्ली २०००
6. बी.डी. शर्मा, ''आदिवासी विकास—एक सैद्धांतिक विवेचन
7. जोषी, रामषरण, आदिवासी समाज और षिक्षा, ग्रंथ षिल्पी, नई दिल्ली १९९६
8. जोगी, अजीत आदिवासी अनुसूचित जाति कल्याण कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए गठित समिति का प्रतिवेदन, म.प्र. षासन सामान्य प्रषासन विभाग, भोपाल १९८८
9. जैन, प्रो. श्रीचंद्र, ''आदिवासियों के बीच'', किताबघर मेन रोड, गाँधीनगर, दिल्ली १९९०